... की गई कार्यवाही ... टिप्पणी तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा

वाद सं0:- R.M.A. 17/2016-17

राज कुमार राय एवं अन्य **बनाम** परवेज रहमान एवं अन्य

आदेश

11.02.2020 यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय वाद सं0 R.E.-17/2015-16 में पारित आदेश दिनांक- 22.07.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अपीलकर्त्ता मौजा-बुटबेड़िया सरदारी सार्कल-मिहिजाम के जमाबंदी रैयत हैं। वे गत सर्वे खतियान में दर्ज मौजा-बुटबेड़िया, खाता सं0-13, के खतियानी रैयत, राजु राय के वंशज है। प्लॉट नं0-140 एवं 140/847 मौजा-बुटबेड़िया के खाता सं0-13 के अतंर्गत कृषि योग्य अहस्तांतरणीय स्वत्व की जमीन है। आवेदकों एवं उनके हिस्सेदारों द्वारा कृषि कार्य के उदेश्य से 2 वर्ष के लिए एक सादे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों पश्चात् अपीलकर्त्ता को पता चला कि उक्त हस्ताक्षरित सादे कागज पर विपक्षी प्रथम पक्ष द्वारा एक पार्टनरशिप डीड बनाकर उक्त जमीन पर पेट्रोल पम्प स्थापित कर लिया गया है। आवेदकों द्वारा इस संबंध में पूछ्ने पर अपीलकर्त्ता प्रथम पक्ष द्वारा उन्हें कहा गया कि उक्त जमीन पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर पेट्रोल पम्प लगाया है एवं माह दिसम्बर 14 में पेट्रोल पम्प हटाकर जमीन खाली कर देने की बात की गई। उक्त जमीन जमाबंदी स्वत्व की जमीन है इसलिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-20 के तहत जमीन का या जमीन के किसी भी हिस्से का Sale, Gift, Mortgage, Will, Lease or any other Contract of Agreement के आधार पर हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, जबतक कि रेकर्ड ऑफ राईट्स में हस्तांतरण के संबंध में उल्लेख न किया गया हो। अपीलकर्त्ता द्वारा न ही कोई पार्टनरशिप डीड किया गया है न ही उनके द्वारा कोई लाभांश लिया जाता है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि प्लॉट नं0-140 एवं 140/847 मौजा-बुटबेड़िया के खाता सं0-13 के अतंर्गत गत सर्वे खतियान में राजु राय के नाम से खतियान में दर्ज है। अपीलकर्त्ताओं एवं अन्य उत्तराधिकारी के जीवित रहते हुए खतियानी रैयत राजु राय की मृत्यु हो गई। उपरोक्त विवादित जमीन मुख्य सड़क के किनारे एवं बंजर भूमि रहने के कारण खतियानी रैयतों के वंशजों के द्वारा उक्त जमीन पर कृषि कार्य नहीं किया जाता था। करीब वर्ष 2011 ई0 में अपीलकर्त्ता के पिता धरम राय, गोबिन्द राय, गुनधर राय, राधा कान्त राय, अजित राय, विजय राय, नरेश राय, षष्टीपद राय, इत्यादि द्वारा इस जमीन पर व्यवसायिक कार्य करने हेतु पार्टनरशिप डीड किया गया। जिसके अनुसार उत्तरवादी द्वारा एक पेट्रोल पम्प स्थापित किया गया। अपीलकर्त्ता एवं उनके हिस्सेदारों द्वारा इस व्यवसाय का लाभांश लिया जाता है। उत्तरवादी का कहना है कि उक्त जमीन पर वे अपना कोई दावा या हक नहीं रखते है, केवल पार्टनरशिप डीड के आलोक में व्यवसाय कर रहें है तथा लाभांश के राशि अपीलकर्त्ताओं को भुगतान करते है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में सलंग्न कागजातों एवं उभय पक्ष के Written Argument का अवलोकन किया गया।

सलंग्न कागजातों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यह मामला व्यवसायिक विवाद से संबंधित है। व्यवसायिक विवाद के निराकरण हेतु यह न्यायालय सक्षम प्राधिकार नहीं है। उत्तरवादी द्वारा अपीलकर्त्ता के जमीन पर अपना दावा या हक नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय वाद सं0 R.E.-17/2015-16 में दिनांक-22.07.2016 को पारित आदेश को खारिज करने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। व्यवसायिक विवाद के निराकरण हेतु अपीलकर्त्ता सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकतें हैं।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय वाद सं0 R.E.-17/2015-16 में दिनांक-22.07.2016 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित
11/02/2020
उपायुक्त
जामताड़ा।

11/02/2020
उपायुक्त
जामताड़ा।

Seen 3/3/2020

Seen 3/3/20

Scanned with CamScanner